भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

आर0ई0आर वाद संख्या–06/2014–15

1. अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर
2. परिजात कुमार श्रीवास्तव.....वादी

बनाम्

विभूति भूषण ठाकुर .....प्रतिवादी
साकिन–साकेतपुरी

–:आदेश:–

20.02.2025

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रक्रिया अंचलाधिकारी, गोड्डा सदर का पत्रांक–706/रा0 दिनांक–16.10.2014 से प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी गोड्डा सदर ने उल्लेख किया है कि मौजा गोढ़ीमाल थाना नं0–503 जामबंदी नं0–50 दाग नं0–49 के अंदर रकवा–00–00–10 धूर फिर दाग नं0–49 के अंदर रकवा–00–00–07–09 धूरकी कुल रकवा–00–00–17 धुर 09 धूरकी भूमि से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उक्त जमीन से विभूति भूषण ठाकुर, साकिन–साकेतपुरी गोड्डा को उच्छेद करने के लिए लाया गया है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का अवैध रूप से मकान एवं चाहर दिवारी बना हुआ है।

प्रश्नगत जमीन का जमाबंदी रैयत महादेव प्रसाद मजुमदार वल्द प्रशन्न कुमार मंजुमदार के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है।

उपरोक्त वाद में विपक्षी को उपस्थित होने हेतु नोटिश निर्गत किया गया है। जिसके आधार पर विपक्षी विभूति भूषण ठाकुर इस वाद में उपस्थित होकर आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया तथा उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन को संचालित करते हुए उपरोक्त प्रश्नगत जमीन मौजा गोढ़ीमाल थाना नं0–503 जमाबंदी नं0–50 दाग नं0–49 के अन्दर रकवा–00–00–17 धुर 09 धूरकी जमीन विपक्षी अश्वनी कुमार झा, ग्राम मिश्र गंगटी, थाना–ठाकुर गंगटी, जिला–गोड्डा झारखण्ड को वर्ष 1936 ई0 में जमाबंदी रैयत के पुत्री स्व0 रानी वाला देवी के पुत्र के द्वारा विपक्षी को आपसी परिवारिक बँटवारानुसार उपरोक्त कुर्फा बन्दोबस्त वाली जमीन अपनी पुत्री नूतन झा पति विभूति भूषण ठाकुर , ग्राम–सैदापुर थाना गोड्डा को उपहार में दान स्वरूप दे दिया। उसी समयसे श्री मति नूतन झा, पति विभूति भूषण ठाकुर मकान बनाकर सपरिवार के साथ रह रहे है।

उक्त मकान का गोड्डा नगर परिषद से होलडींग टैक्स आदा कर रसीद प्राप्त कर रहीं है। उक्त मकान में उनके नाम बिजली कनेक्शन और बिजली का भुगतान कर बिजली बिल प्राप्त कर रहीं है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है। कि उनके एवं उक्त जमीन पर दखलकार एवं मकान के सबंध में जमाबंदी रैयत के वंशज परिजात कुमार श्रीवास्तव पिता–स्व0 जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, साकिन–बाबुपाड़ा, गोड्डा, थाना–गोड्डा टाउन के द्वारा बनाया गया शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जिसमें जमाबंदी रैयत के वारिशान शपथ कर्त्ता द्वारा यह बात स्वीकार किया गया है कि विपक्षी को उक्त जमीन कुर्फा के आधार पर दिया गया है। जिसमें मकान है। सपरिवार बसोबास करते चले आ रहे है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त जमीन का स्वरूप कृषि योग्य नहीं रह गया है। उसका स्वरूप बसौढ़ी हो गया है। और मकान वाली जमीन पर संथाल परगना काश्ताकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 लागु नहीं हो सकता है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का इस संबंध में यह भी कथन है कि जमाबंदी रैयत के वंशज को प्रश्नगत जमाबंदी संख्या–50 दाग नं0–49 पर विनय कुमार झा का मकान अवस्थित होने के कारण आर0ई0आर वाद संख्या–02/2014–15 को वापस लेने का आवेदन दिया है। जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि जमाबंदी रैयत के वारिसानों को विपक्षी का उक्त प्रश्नगत जमीन पर मकान बने रहने से और बसोबार करने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा श्रीमान उपायुक्त महोदय, गोड्डा को न्यायालय का आर0एम0ए0 नं0–13/2017–2018 भवानी देवी, बानम परिजात कुमार श्रीवास्तव के आदेश में पारित आदेश दिनांक–03.11.2021 का अभिप्रमाणित प्रति का छायाप्रति समर्पित करते हुए कहा है कि प्रश्नगत जमाबंदी नं0–50 के दाग नं0–234 में इसी तरह के मामले में श्रीमान् उपायुक्त महोदय गोड्डा द्वारा मकान बने रहने के कारण उक्त जमीन से अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा उच्छेदी के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता भवानी देवी के अपील को स्वीकृत किया है। एवं उनके दखल कब्जा को बरकरार रखा है। इस वाद में सरकार की और से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होकर कहा है कि प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का अवैध रूप से कब्जा है। एवं मकान बना हुआ है। प्रश्नगत जमीन के जमाबंदी रैयत नहीं है। इस लिए विपक्षी को उक्त जमीन से उच्छेद करना न्याय संगत नहीं होगा।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी वकील को सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौजा गोढ़ीमाल थाना नं0–503 जमाबंदी नं0–50 गत सर्वे सेटलमेन्ट पर्चा में महादेव प्रसाद मंजुमदार वल्द प्रशन्न कुमार मंजुमदार के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है।

विपक्षी के द्वारा उक्त जमाबंदी नं0–50 के दाग नं0–49 रकवा–00–00–17 धूर 09 धूरकी जमीन विपक्षी विभूति भूषण ठाकुर का ससुर अश्वनी कुमार झा को कुर्फा से प्राप्त हुआ है। एवं जिसे जमाबंदी रैयत के वंशज परिजात कुमार श्रीवास्तव साकिन–बाबूपाड़ा, गोड्डा ने अपने शपथ पत्र संख्या–4015 दिनांक–21.08.2010 से रकवा–00–00–10 दस धुर एवं शपथ पत्र संख्या–688 दिनांक–17.01.2012 से रकवा 00–00–07–09 धूरकी कुल रकवा–00–00–17 धूर 09 धूरकी 1936 ई0 में कुर्फा से प्राप्त

हुआ है। एवं कुर्फा के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर से वर्तमान स्थिति का प्रतिवेदन की माँग की गई थी ।

अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर न अपने पत्रांक–133/रा0 दिनांक–30.01.2025 से प्रतिवेदित किया है कि उक्त जमीन पर विपक्षी का मकान एवं चाहार दिवारी के साथ–साथ दखल कब्जा है। संथाल परगना काश्ताकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 लागु नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थति में प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तथ्य के आलोक में आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति संबंधित अंचलाधिकारी गोड्डा सदर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

20/02/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

20/02/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा।

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.03.10 13:20:54 +05:30
Location: 192.168.29.124